**उत्तराखण्ड शासन**
**परिवहन अनुभाग–1**
**संख्याः–  /ix-1/2026/E-46098-15(01)2022**
**देहरादूनः दिनांक 30 अप्रैल, 2026**

## कार्यालय–ज्ञाप

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1971, दिनांक 05 मई, 2025 द्वारा लागू केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025 के राज्य में क्रियान्वयन हेतु **श्री राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड** को State Nodal Point of Contact (POC) नामित किया जाता है।

Digitally signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 30-04-2026
11:02:01

**(बृजेश कुमार सन्त)**
सचिव।

**संख्याः–391904 /ix-1/2026/E-46098-15(01)2022तद्दिनांकित।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
2. निदेशक, एम0वी0एल0, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
3. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित नोडल अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Pradeep Mohan Nautiyal
Date: 30-04-2026
17:53:23

**(प्रदीप मोहन नौटियाल)**
उप सचिव।